संख्या-28/2024/251/001-22-4-2024-1743789

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2024**

विषय:- केन्द्रीय / जिला कारागारों के निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन हेतु नये वाहनों के क्रय की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5852/नजारत-4/80/वा0क्र0/2021, दिनांक 01 मार्च,2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग की निष्प्रयोज्य 04 नग एम्बुलेंस के स्थान पर मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि० की 03 नग नियो एम्बुलेंस तथा निष्प्रयोज्य 05 नग जीप / जिप्सी के स्थान पर मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0 की 04 नग बोलेरो बी-4 बी0एस0-6 अर्थात कुल 09 वाहनों के पुर्नस्थापन स्वरूप कुल 07 नये वाहनों का क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 74,10892/- (रूपया चौहत्तर लाख दस हजार आठ सौ बानवें मात्र) की निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नवत् शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करती हैं :-

क्र0	**वाहन का नाम**	**प्रति वाहन मूल्य**	**वाहन की संख्या**	**स्वीकृत धनराशि**
1	2	3	4	5
1	मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि० की 03 नग नियो एम्बुलेंस	रू0 13,05,000/-	03 नग	रू0 39,15,000/-
2	मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0 की 04 नग बोलेरो बी-4 बी0एस0-6	रू0 8,73,973/-	04 नग	रू0 34,95,892/-
योग-			**07 नग**	**रू0 74,10,892/-**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 द्वारा वाहनों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनाँक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा । इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों / शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त वाहनों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब वाहनों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित वाहनों के मेक / मॉडल / स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के सम्बन्ध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 क्रय किये जाने वाले वाहनों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेगें।

(5) वाहनों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

(6) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 द्वारा वाहनों के मूल्य के दृष्टिगत किये जाने वाले क्रय के सम्बन्ध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु-2 का परामर्श प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 17-03-2023 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनाँक 31 मार्च, 2024 तक सुनिश्चित कर लिया जाय ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 74,10,892 (रुपये चौहत्तर लाख दस हजार आठ सौ बयान्वे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008002600 समस्त कारागार **मानक मद** 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **E-12-601-X-2023-24, दिनांक-28.03.2024** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-28/2024/251(1)/001-22-4-2024-1743789, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
(7) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त। (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।